उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-38 /2021/2524 /92-2-21-115जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 02 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद में वर्ष 2012-13 में विधायक निधि के अंतर्गत विकास खण्ड-हरिंग्टनगंज रामआसरे इण्टर कालेज शाहगंज से इण्टरलांकिग के कार्य में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 60, 844.00 एवं मु0 रू0 2, 60, 159.00 का अधि क भुगतान किये जाने की अननियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सै0 हुमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-48/2017/684/92-2-2018-115जांच/2017 दिनांक 20.03.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मिर्जापुर विन्ध्याचल मण्डल को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1297/92-2-2018-115जांच/2017 दिनांक 24.05.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री हुमायूँ जॉह, तत्का0 अिधशासी अभियंता के विरूद्व अनुमोदित आरोप पत्र संख्या-1198/92-2-17-115जांच/2107 दिनांक 24.05.2018 जॉच अिधकारी को प्रेषित करते हुये नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-विन्ध्याचल मण्डल मिर्जापुर के पत्र संख्या-892/ग्रा0अ0वि0-परि0-विन्ध्याचल मण्डल/ 19-20 दिनांक 14.10.2019 द्वारा प्रकरण की जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण करते हुये शासन के पत्र सं0-2416/92-2-19-115जांच/2017 दिनांक 14.11.2019 द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मॉगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 12.02.2020 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

विधायक निधि योजना के अंतर्गत राम आसरे इण्टर कालेज शाहगंज हरिग्टनगंज में विद्यालय परिसर के अंदर इण्टरलांकिग कार्य की जॉच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ एवं मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0, लखनऊ द्वारा दि0 30.01.2018 को की गयी। विकास खण्ड-हरिग्टंनगंज के अंतर्गत 2012-13 में विधायक निधि योजना के अंतर्गत परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद के पत्र दि0 05.11.2012 से शाहगंज हरिंग्टनगंज मार्ग पर राम आसरे इण्टर कालेज शाहगंज तक इण्टरलांकिग का कार्य लम्बाई 160 मी0 में कराने हेतु मु0 6.90 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा प्राक्कलन संख्या-243 दिनांक 06.12.2012 द्वारा अंकन रू0 6.90 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके अनुसार 602.93 वर्ग मी0 इण्टरलांकिग के कार्य का प्राविधान किया गया, जिसके विपरीत शाहगंज हेरिग्टनगंज मार्ग पर रामआसरे इण्टर कालेज शाहगंज तक विभिन्न टुकडो में 112.55 मी0 लम्बाई में कुल 617.76 वर्ग मी0 इण्टरलांकिग का कार्य कराने का उल्लेख टी0ए0सी0 द्वारा माप पुस्तिका में पाया गया जो कि स्वीकृत मार्ग पर न होकर कालेज परिसर में कार्य कराना पाया गया। पुन: वर्ष 2013-14 में विधायक निधि योजना के अंतर्गत परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद के पत्रांक-2089 दिनांक 30.09.2013 द्वारा रामआसरे इण्टर कालेज शाहगंज में अवशेष इण्टरलांकिग कार्य लम्बाई 65 मी0 में कार्य कराये जाने हेतु मु0 रू0 5.68 लाख का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता, फैजाबाद द्वारा प्राक्कलन सं0-120 दिनांक 05.10.2013 मु0 रू0 5.68 लाख की प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा 418.73 वर्ग मी0 इण्टर लांकिग कार्य कराया जाना पाया गया। निरीक्षण के समय दोनो अलग-अलग स्वीकृतियों के सापेक्ष कराये गये कार्य का चिन्हांकन नहीं पाया गया, अर्थात उपरोक्त दोनो स्वीकृतियों का कार्य राम आसरे इण्टर कालेज परिसर के अंदर ही होना पाया गया। निरीक्षण में परिसर के अंदर कराये गये इण्टर लांकिग की मापी कराये जाने पर कुल 662.52 वर्ग मी0 में इण्टरलांकिग टाइल्स पायी गयी, जबकि प्रथम स्वीकृति के सापेक्ष 617.65 वर्ग मी0 तथा द्वितीय स्वीकृति के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

सापेक्ष 418.73 वर्ग मी0 इस प्रकार कुल 1026.38 वर्ग मी0 का भुगतान किया जाना पाया गया। कार्यस्थल के निरीक्षण एवं अभिलेखों के अनुसार 363.86 वर्ग मी0 जिसकी लागत अंकन रू0 2, 60, 159.90 अधिक भुगतान होने की स्थिति परिलक्षित हुई। जॉच एवं निरीक्षण के समय राम आसरे इण्टर कालेज विद्यालय परिसर में कराये गये इण्टर लांकिग के नीचे लीन कंक्रीट का दो स्थान पर खोदकर चेक किया गया, जिसमें सीमेंट की मात्रा नगण्य पाई गई तथा लीन कंक्रीट का कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। इस प्रकार से दोनो स्वीकृतियों में कुल कराये गये लीन कंक्रीट कार्य मद की लागत अंकन रू0 16, 54, 795+ 1, 39, 425.00 रू0 3, 04, 220.00 का 20 प्रतिशत रू0 60,844.00 की शासकीय क्षति हेतु श्री हुमायूँ जॉह को आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

[2]

अपचारी अधिकारी श्री हुमायूँ ने उल्लेख किया है कि टी0ए0सी0 की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 15.01.2018 में कार्य की गुणवत्ता के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है, केवल परिसर के अंदर कार्य कराने पर आपत्ति की है, न ही उनके द्वारा कृत कार्य के अधूरे होने की कोई शिकायत की है, टी0ए0सी0 ने स्वयं यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम किस्त में कृत कार्य का सत्यापन डी0आर0डी0ए0 द्वारा किये जाने के उपरांत ही द्वितीय किश्त जारी की, पुन: द्वितीय किश्त के कार्य का सत्यापन भी डी0आर0डी0ए0 द्वारा किया गया, टी0ए0सी0 ने अपनी आख्या में यह दर्शाया कि डी0आर0 डी0ए0 फैजाबाद द्वारा दी गयी स्वीकृत के क्रम में ही कृत कार्य सम्पन्न कराया गया, उपरोक्त टी0ए0सी0 की रिपोर्ट से स्वयं स्पष्ट है कि डी0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत कार्य के सापेक्ष अपने सत्यापन में कार्य विशिष्टयों के अनुरूप ही पूर्ण पाया गया, अधूरा कार्य यदि होता तो कार्य सत्यापन पर न तो दूसरी किस्त मिलती एवं यदि कृत कार्य के अधूरा पाया जाता तो मुख्य विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 15.01.2018 में उसका उल्लेख अवश्य होता। इस प्रकार टी0ए0सी0 की रिपोर्ट में की गयी समीक्षा एवं डी0आर0डी0ए0 के सत्यापन के क्रम में कृत कार्य डी0आर0डी0ए0 की स्वीकृत लम्बाई एवं स्वीकृत के सापेक्ष ही उसी जगह सम्पन्न हुआ।

टी0ए0सी0 द्वारा अपनी आख्या में 1026.38 वर्ग मी0 के भुगतान के सापेक्ष 652.52 वर्गमी0 में इण्टर लांकिग बताया गया, दूसरी ओर यह भी दर्शाया गया कि परिसर से बाहर चक रोड पर सामग्री की व्यवस्था अवर अभियंता द्वारा करवाते हुये लेबर की व्यवस्था कालेज प्रबंधन द्वारा करवायी गयी पायी। इस कार्य के मापें टी0ए0सी0 द्वारा नहीं की गयी। कृत कार्य मार्च 2012 में पूरा हुआ एवं टी0ए0सी0 द्वारा इस कार्य की जॉच 30.01.2018 को की गयी, अर्थात लगभग कृत कार्य पूर्ण के लगभग 06 साल बाद की गई। इस संबंध में अवर अभियंता, श्री एन0डी0 सिंह से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि कृत कार्य के लगभग 06 वर्ष के दौरान कालेज में लोगों के अत्याधिक आवागमन/ इसी दौरान हुई भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर इंटरलांकिग क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जॉच की जानकारी पर उनके एवं प्रबंधन के सहयोग से कृत कार्य को ठीक कराया जा रहा था, जिससे विभाग की छवि धूमिल न हो परन्तु टी0ए0सी0 टीम ने उक्त कृत कार्य की मापी कुछ वांछित लोगों द्वारा भ्रम पैदा करने के कारण नहीं ली गयी, जब कि कृत कार्य उनके द्वारा पूर्व में ही निर्धारित विशिष्टियों में पूर्ण करवाया गया था एवं कोई शासकीय क्षति न ही हुई है।

अपचारी अधिकारी श्री हुमायूँ ने यहॉ यह भी उल्लेख किया है कि प्रखण्ड-फैजाबाद में शासन द्वारा मार्च 2013 में वित्तीय प्राप्त/व्यय का लक्ष्य 2000 लाख/1500 लाख, जिसके सापेक्ष प्रखण्ड में वित्तीय उपलब्ध/व्यय रू0 2124.41 लाख/2083.84 लाख की प्राप्त की, इसी प्रकार मार्च, 2014 हेतु शासन से वित्तीय प्राप्ति/व्यय का लक्ष्य 2000 लाख/1500 लाख, जिसके सापेक्ष प्रखण्ड में वित्तीय उपलब्ध/व्यय रू0 2917.05 लाख/2168.89 लाख की शासन द्वारा मार्च, 2015 का वित्तीय/प्राप्ति का लक्ष्य 1500 लाख/1125 लाख रखा जबकि प्रखण्ड द्वारा वित्तीय प्राप्ति के सापेक्ष उपलब्ध धन/व्यय 3065.43 लाख/2080.45 लाख सुनिशिचत कराया गया, इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्ति प्रत्येक वर्ष अत्याधिक सुनिश्चित करायी गयी, जिससे कि प्रखण्ड/विभाग की छवि किसी स्तर पर धूमिल न हो। उपरोक्त के साथ-साथ श्री हुमायूँ का पीआईयू फैजाबाद के कार्यो का दायित्व भी शासन द्वारा सौपने के तारतम्य में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करवायी गयी, साथ ही साथ शासन/प्रशासन/यूपीआरआरडीए द्वारा बुलायी गयी प्रगति समीक्षा की मीटिंग में भी भाग लिया जाता रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उपरोक्त के बावजूद प्रत्येक माह अवर अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की लगातार प्रगति समीक्षा के दौरान निर्धारित मानकों में समस्त कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चति कराये जाने के साथ निर्धारित समय के अंदर समस्त कार्यो को पूर्ण करवाने के निर्देश दिये जाते रहे एवं कुछ कार्यो का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते रहे। उक्त स्थिति में यह संभव नहीं था कि प्रत्येक कार्य का निरीक्षण अधिशासी अभियंता के स्तर से किया जाये। किसी कार्य की शिकायत मिलने पर उस कार्य का निरीक्षण किया जाता रहा है। उपरोक्त दोनो कार्यो की शिकायत श्री हुमायूँ के कार्यकाल में न प्राप्त होने के कारण इनका निरीक्षण नहीं किया जा सका।

टी0ए0सी0 की आख्या में दर्शित संलग्न माप पुस्तिका संख्या-633 (एल0) के दशिर्त पृष्ठों के से स्पष्ट है कि श्री हुमायूँ द्वारा किये भुगतान से पूर्व सहायक अभियंता द्वारा लीन कंक्रीट एवं इण्टरलांकिग की मापों की शत प्रतिशत चेकिंग की गयी जिसके उपरांत ही भुगतान कार्यवाही की गयी। सहायक अभियंता द्वारा शत-प्रतिशत माप चेंकिग के उपरांत भी कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो उसके लिए सहायक अभियंता/ अवर अभियंता की उत्तरदायी/दोषी है।

<u>जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना</u>

आरोप पत्र में दशिर्त तथ्य एवं संलग्न साक्ष्यों तथा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रेषित उत्तर एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री सै0 हुमायू जॉह तत्का0 अधिशासी अभियंता , ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त, माह अगसत, 2012 से जुलाई, 2015 तक अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत रहे। यद्यपि आरोप पत्र में उल्लिखित दोनो कार्यो में उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त न होने के संबंध में उल्लेख किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के पत्र संख्या-1914/ग्रा0अ0वि0/डी0आर0डी0ए0/अधि0अभि0-आरईडी/2017-18 दि0 15.01.2018 में इंगित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जॉच मुख्य अभियंता (प0क्षे0) श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार एवं अधीक्षण अभियंता, टी0ए0सी0 श्री के0के0 मिश्रा से कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में जॉच शासन स्तर से सम्पन्न करायी गयी है। अधीक्षण अभियंता, परि0 विन्ध्यांचल मिर्जापुर के कार्यालय के पत्रांक-141/ग्रा0अ0वि0/अनु0कार्य-अ0अ0/2019-20 दिनांक 21.05.2019 द्वारा श्री सै0 हुमायूँ जाहॅ, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त को निर्देशित किया गया था कि यदि प्रखण्ड-फैजाबाद से वांछित अभिलेख प्राप्त हो गये हो तो बचाव उत्तर ग्रामीण अभियत्रण विभाग, परि0-विन्ध्याचल मिर्जापुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 09.06.2018 को आरोप पत्र प्राप्त होने पर दि0 13.06.2019 को आरोप पत्र का उत्तर प्रेषित करने हेतु अभिलेखों की मॉग की गई। अधीक्षण अभियंता, परि0 विन्ध्यांचल के कार्यालय के पत्रांक-420/ग्रा0अ0वि0/अनु0कार्य-अ0अ0/2018-19 दि0 16.07.2018 द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित करते हुये श्री सै0 हुमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त को पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर कहा गया कि प्रखण्ड-फैजाबाद से सम्पर्क स्थापित करते हुये वांछित अभिलेख प्राप्त कर बचाव उत्तर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा बचाव उत्तर जो दि0 03.09.2019 को प्रेषित किया गया में उल्लेख किया गया कि अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। आरोप पत्र के साथ संलग्नक साक्ष्यों को ही आधार मानकर बचाव उत्तर प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र के आरोप संख्या-1 में उल्लेख किया गया है कि विकास खण्ड-हरिंग्टनगंज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विधायक निधि योजना के अंतर्गत परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद के पत्र सं0-2879 दि0 05.11.2012 के क्रम में शाहगंज हरिग्टनगंज मार्ग पर राम आसरे इण्टरकालेज शाहगंज तक इंटरलांकिग का कार्य लम्बाई 160 मी0 में कराने हेतु 6.90 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। दिनांक 06.12.2012 द्वारा 6.90 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्य की द्वितीय किशत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,फैजाबाद के पत्रांक-241/लेखा वि0नि0 धनांवटन/ 2012-13 दिनांक 09.05.2013 के क्रम में कुल स्वीकृत 6.90 लाख के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 4.14 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में 2.76 लाख उपलब्ध कराया गया है। कार्य का अंतिम बीजक भुगतान जून, 2013 को किया गया पाया गया है। पुन: वित्तीय वर्ष 2013-14 में विधायक निधि योजना के अंतर्गत परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद के पत्रांक-2089 दिनांक 30.09.2013 द्वारा रामआसरे इंटर कालेज शाहगंज में अवशेष इण्टरलांकिग कार्य लम्बाई 65 मी0 में कार्य कराये जाने हेतु 5.68 लाख की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। टी0ए0सी0 द्वारा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष 418.73 वर्गमी0 इंटरलांकिग का कार्य कराया जाना पाया। इस प्रकार दोनो स्वीकृतियों के सापेक्ष 1026.38 वर्गमी0 का भुगतान किया जाना पाया गया। टी0ए0सी0 द्वारा कार्यस्थल की जॉच एवं अभिलेखों के अनुसार 363.86 वर्गमी0 लागत रू0 2,60,159.90 का अधिक भुगतान होने की स्थिति परिलक्षित हुई है। इंटरलांकिग के नीचे बेस कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा नगण्य एवं बेस कंक्रीट विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में उल्लेख किया गया है स्वीकृत कार्य मार्च, 2012 में पूर्ण हुआ, जबकि जॉच आख्या से स्पष्ट है कि कार्य की द्वितीय किश्त मई, 2013 में प्राप्त हुआ विभाग द्वारा अंतिम भुगतान जून,2013 में किया गया है एवं 05.10.2013 को प्रदान की गयी स्वीकृति के सापेक्ष कर्य का अंतिम मापांकन मार्च, 2014 एवं भुगतान तदुपरान्त किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 03 वर्ष से अधिक समय के उपरांत जॉच हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। निर्माण कार्य की स्वीकृति शाहगंज हरिग्टनगंज मार्ग पर राम आसरे इंटर कालेज शाहगंज में अवशेष इंटरलांकिग का कार्य स्वीकृत किया गया। दिनांक 05.11.2012 में स्वीकृत कार्य मौके पर न पाये जाने के कारण इंटर कालेज परिसर में हुए समस्त इंटरलांकिग कार्य की जॉच किया गया एवं तदनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। दिनांक 05.11.2012 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त इंटर कालेज परिसर में किये गये कार्य का सत्यापन डी0आर0डी0ए0 में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किये जाने के उपरांत विभाग को अवशेष धनराशि उपलब्ध करायी गयी। इस प्रकार किये गये कार्य की संशोधित स्वीकृति डी0आर0डी0ए0 द्वारा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। अधिशासी अभियंता आरोप पत्र के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि कार्य की शिकायत मिलने पर कार्य का निरीक्षण किया जाता रहा है। सहायक अभियंता द्वारा लीन कंक्रीट एवं इंटर लांकिग की शत-प्रतिशत नहीं की गयी है जैसा कि माप पुस्तिका में सहायक अभियंता द्वारा माप चेकिंग के समय तिथि का उल्लेख नहीं किया गया। उक्त के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं का भी उल्लेख किया गया है कि कार्यो की गुणवत्ता सुनिशिचत कराये जाने का निर्देश दिये गये परन्तु किसी प्रकार साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। गुणवत्ता सुनिशिचत कराने के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही फील्ड स्तर पर की गयी प्रतीत नहीं हो रही है। इस प्रकार जॉच अधिकारी की आख्या के अनुसार एवं इस स्तर से विवेचना में तत्का0 अिधशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद वर्तमान में सेवानिवृत्त श्री सै0 हुमायूँ जॉह भी अन्य के साथ-साथ दोषी है।

<u>आरोप संख्या-2</u>

विधायक निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में सैदपुर बरकत का पुरवा से प्रधानमंत्री सडक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 0.510 किमी0 में ह्यूमपाइप के कार्य की जॉच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ,उ0प्र0 शासन लखनऊ एवं मुख्य अभियंता (प0क्षे0) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दि0 30.01.2018 को की गयी। विकास खण्ड-रूदौली के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में विधायक निधि योजना के अंतर्गत परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद के पत्र दि0 05.11.2012 से सैदपुर बरकत पुरवा प्रधानमंत्री मार्ग से महमद नगर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी/सोलिंग कार्य लम्बाई 510 मी0 में कराने हेतु मु0 7.23 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा प्राक्कलन संख्या-225 दिनांक 06.11.2012 द्वारा अंकन रू0 7.23 लाख की प्रदान की गयी। प्राक्कलन में प्राविधान के अनुसार 510 मी0 लम्बाई में खण्डजा एवं 600 एमएम के 250 मी0 लम्बाई में 04 पाइप अर्थात 10 रनिंग मी0 हयूम पाइप का प्राविधान किया गया था। कार्य से संबंधित माप पुस्तिका संख्या-650/एल के पृष्ठ संख्या-142 से 146 तक उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रथम रनिंग बिल का भुगतान दिनांक जनवरी 2013 किया जाना पाया गया। प्रथम रनिंग बिल में इगित कार्य मदों का रिकार्ड मापांकन दिनांक 25.01.2013 एवं 05.02.2013 में किया गया, जिसमें हयूम पाइप का भुगतान होना नही पाया गया। द्वितीय रनिंग बिल में इंगित कार्य मदों का रिकार्ड मापांकन दिनांक 01.03.2013 में किया गया, जिसमें 600 मिमी0 व्यास के 10 रनिंग मी0 हयूम पाइप लागत रू0 25,000.00 का भुगतान किये जाने की स्थिति पायी गयी। कार्य का निरीक्षण करने पर मार्ग में पुराना लगा हुआ खण्डजा पाया गया। मार्ग के चैनेज 250 मी0 एवं 350 मी0 पर 2.50 मी0 पर 2.50 मी0 के दो-दो हयूम पाइप लगे पाये गये परन्तु मौके पर देखने से परिलक्षति होता है कि दोनो जगहों पर लगभग एक सप्ताह पहले ही यह पाइप फिक्स किये गये है। उक्त कार्य पर शिथिल पर्यवेक्षण हेतु श्री सै0 हुमायूँ जॉह को आरोपित किया गया ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी श्री हुमायूँ ने उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 सैदपुर बरकत का पूर्वा से प्रधानमंत्री सडक सम्पर्क मार्ग की टी0ए0सी0 की रिपोर्ट में दशिर्त है कि मुख्य विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 15.01.2018 में हयूम पाइप न लगाये जाने का उल्लेख है जबकि टी0ए0सी0 ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में दर्शाया कि मार्ग पर हयूम पाइप लगे पाये गये। जैसा कि आरोप संख्या-1 के प्रस्तर-1 एवं 3 में सम्पूर्ण स्थित से अवगत कराया जा चुका है इस संबंध में भी संबंधित अवर अभियंता से दूरभाष से जानकारी ली गयी, मार्च, 2012 में पूर्ण हुये कार्य की जॉच लगभग 06 वर्षो के उपरांत की गयी, अत्याधिक आवागमन/अत्याधिक विभिन्न वर्षो की वर्षाओं के कारण कार्य अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो गया था, 06 साल उपरांत जॉच से पूर्व ही पुन: लगे पाइपों पर क्षतिग्रस्त को ठीक कराया गया, अवर अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप पूर्व में ही डाले गये पाइपों के ऊपर क्षतिग्रस्त कार्यो को ठीक कराया गया। आरोप संख्या-1 के प्रस्तर-3 में समय-समय पर पर्यवेक्षण के बारे में अवगत कराया गया है कि प्रत्येक माह अवर अभियंताओं/सहायक अभियंताओं की लगातार प्रगति समीक्षा के दौरान निर्धारित मानकों में समस्त कार्यो को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये जाते रहे। श्री हुमायूँ के कार्यकाल में उक्त कार्य की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिससे कि निरीक्षण का आवश्यक कार्यवाही की जाती, माप पुस्तिका 650एल के पृष्ट संख्या-142-146 से परिलक्षित है कि सहायक अभियंता द्वारा कृत कार्यो के समस्त मापों की चेकिगं की गयी है जिसके उपरांत ही भुगतान कार्यवाही भी हुई।

अपचारी अधिकारी श्री हुमायूँ (सेवानिवृत्त) ने उल्लेख किया है कि वे जून, 2016 में सेवा निवृत्त हो गये थे जबकि उक्त दोनो कार्यो की जॉच 30.01.2018 को कृत कार्य के छ: वर्षो उपरांत की गयी। इस संबंध में नवल किशोर बनाम राजस्थान राज्य, ए0आई0आर0 1967 राज0 82, एम कोटेश्वर राव बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, (1975) एस0एल0आर0 245, बी0जे0शेलट बनाम गुजरात राज्य, 1978 एस0ले0जे0 503 (1978) 2 एस0एल0आर0 88 में लिये गये निर्णयों के क्रम में सेवा मुक्ति के बाद प्रारम्भ नहीं किया जा सकता या उसे जारी नहीं रखा जा सकता है।

जॉच अधिकारी की जॉच आख्या/विवेचना

वित्तीय वर्ष 2012-13 सैदपुर बरकत का पुरवा से प्रधानमंत्री सडक सम्पर्क मार्ग लम्बई 0.510 कि0मी0 में हयूम पाइप न लगाया जाना स्वीकृति पत्र में इस कार्य का नाम सैदपुर बरकत का पुरवा प्रधानमंत्री मार्ग से महमदनगर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी सोलिंग का कार्य है। विकास खण्ड-रूदौली अंतर्गत वर्ष 2012-13 में विधायक निधि के अंतर्गत परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद के पत्र संख्या-2559 दिनांक 05.11.2012 के क्रम में सैदपुर बरकत पुरवा प्रधानमंत्री मार्ग से महमदनगर सम्पर्क मार्ग पर मिटटी सोलिंग कार्य लम्बाई 510 मी0 में कराने हेतु प्रशासनिक एवं रू0 7.23 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्राक्क्लन में प्राविधान के अनुसार 510 मी0 लम्बाई में खण्डजा एवं 600 मिमी0 व्यास के 2.50 मी0 लम्बाई के 04 पाइप का प्राविधान किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.01.2018 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत/निर्मित सम्पर्क मार्ग सैदपुर बरकत का पुरवा से प्रधानमंत्री सडक लम्बाई 510 मी0 में हयूम पाइप न लगाये जाने का उल्लेख किया गया है। अपचारी अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि टी0ए0सी0 ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है कि मार्ग पर हयूम पाइप लगे पाये गये। अनुमोदित आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि संदर्भित मार्ग की तकनीकी स्वीकृति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के प्राक्कलन संख्या-225 दिनांक 06.11.2012 द्वारा 7.23 लाख की प्रदान की गयी है। स्वीकृत प्राक्कलन में 510 मी0 लम्बाई में खण्डजा एवं 600 मिमी0 के 2.50 मी0 लम्बाई में 4 पाइप का प्राविधान किया गया था। कार्य से संबंधित माप पुस्तिका सं0-650 एल के पृष्ठ सं0-142-146 तक उपलब्ध कराया गया। प्रथम रनिंग बिल के इंगित कार्य मदों का रिकार्ड मापांकन दि0 25.01.2013 एवं 05.02.2013 जिसमें हयूम पाइप का उल्लेख नहीं पाया गया। द्वितीय रनिंग बिल में इंगित कार्य मदों का रिकार्ड मेजरमेंट दि0 01.03.2013 में किया गया जिसमें 600 मिमी0 ब्यास के 10 मी0 हयूम पाइप लागत रू0 25,000.00 का भुगतान किया गया है। मार्ग के चैनेज 250 मी0 एवं 350 मी0 पर 2.50 मी0 के दो-दो पाइप लगे पाये गये, मुख्य प्राविधिक परीक्षक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ एवं मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये जॉच/निरीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

आख्या में उल्लेख किया गया है कि हयूम पाइप निरीक्षण/जॉच की तिथि से लगभग एक सप्ताह पहले ही अर्थात दिनांक 18.01.2018 से 23.01.2018 के मध्य ही फिक्स किये गये। संबंधित अवर अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा उक्त मार्ग पर जॉच की सूचना प्राप्त होने पर हयूम पाइप लगाये गये।

अधिशासी अभियंता द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निर्गत एवं निरीक्षण किये गये कार्यो की निरीक्षण आख्या एवं परीक्षण संबंधित किसी भी प्रकार का अभिलेख/साक्ष्य संलग्न नहीं किये गये है। श्री हुमायूँ ने उल्लेख किया है कि प्रत्येक माह अवर अभियंताओं/सहायक अभियंताओं कीप्रगति समीक्षा में निर्धारित मानको में समस्त कार्यो की गुणवत्ता के साथ सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये जाते रहे परन्तु समीक्षात्मक टिप्पणी से संबंधित किसी भी प्रकार के साक्षय संलग्न नहीं किये गये है। सहायक अभियंता द्वारा कृत कार्यो के समस्त मापों की चेकिंग की गयी है का उल्लेख किया गया है। माप पुस्तिका के समस्त मापों की चेंकिग सहायक अभियंता द्वारा किस तिथि को किया गया है का उल्लेख नहीं है एवं अधिशासी अभियंता द्वारा माप चेंकिग नहीं की गयी है एवं न ही साक्ष्य के रूप में अभिलेख संलग्न नहीं है।

श्री सै0 हुमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभि यंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा उत्तर में उल्लेख किया है कि वे जून 2016 में सेवानिवृत्त हो गया था। उक्त दोनो कार्यो की जॉच 04 वर्ष से अधकि समय व्यतीत होने पर किया गया। अधीक्षण अभियंता, परि0 विन्ध्यांचल के कार्यालय के पत्रांक-706/ ग्रा0अ0वि0/जांच/फैजाबाद/2019-20 दि0 26.08.2019 के द्वारा पत्र लिखकर श्री सै0 हुमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानित्त के वर्तमान पते 14 सत्यमपुरम कालोनी, बालागंज हरदोई रोड, लखनऊ को पंजीकृत डाक से प्रेषित करते हुये दि0 05.09.2019 को प्रात: 11.00 बजे व्यक्तिगत सुनवाई/प्रति परीक्षण हेतु उपस्थित होने हेतु कहा गया। उक्त दि0 05.09.2019 को प्रात: 11.00 बजे व्यक्तिगत सुनवाई/प्रति परीक्षण हेतु उपस्थित होने हेतु कहा गया। उक्त दि0 05.09.2019 को निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर पुन: अधीक्षण अभियंता, परि0-विन्ध्यांचल कार्यालय के पत्रांक-841/ग्रा0अ0वि0/ जांच/ 2019-20 दि0 30.09.2019 द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई/प्रति परीक्षण हेतु दि0 09.10.2019 को तिथि निर्धारित कर उनके वर्तमान पते पर पत्र प्रेषित किया गया। श्री सै0 हुमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अिभयंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त उक्त निर्धारित तिथि को भी प्रति परीक्षण/ व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुये एवं उनके द्वारा दि0 12.10.2019 को व्हाटसअप/ई-मेल के द्वारा कथन प्रस्तुत किया गया। डी0आर0डी0ए0 द्वारा सत्यापन एवं सहायक अभियंता द्वारा की गयी मापी को ही साख्य मानने के लिए अधिशासी अभियंता द्वारा निर्देश दिये गये की कार्य को गुणवत्ता पूर्वक कराया जाए एवं स्वयं के द्वारा निर्देश कब-कब दिये गये एवं उक्त कार्यो के अतिरिक्त किन-किन कार्यो का निरीक्षण किया गया है का भी न तो उल्लेख किया गया है और न ही साक्ष्य संलग्न किये गये ।

अपचारी अधिकारी श्री सै0 हुमायू जॉह तत्का0 अधिशासी अभियंता , ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त पर लगाये आरोप सिद्ध होते है, जिसके लिए दोषी है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

अपचारी अधिकारी श्री हुमायूँ जॉह द्वारा अवगत कराया गया है कि आरोप पत्र के साथ संलग्न स्थलीय जॉच अधिकारी की आख्या के पेज सं0-40 के उक्त आरोप के अंतिम पैरा में दर्शाया गया है जिसका पूर्व में उल्लेख अपने उत्तर दिनांक 30.09.2019 में किया जा चुका है कि डी0आर0डी0ए0 के सत्यापन के उपरांत ही दोनो प्राक्कलन की द्वितीय किश्ते जारी की गयी, इसलिये अधीक्षण अभियंता परि0-मिर्जापुर द्वारा दर्शाये गये तथ्य संशोधित स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री हुमायूँ जॉह द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके पत्र दिनांक 12.02.2020 जो अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अयोध्या को पुन: पत्र रिकार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखे गये पत्र में यह भी पूछा गया है कि क्या उनके प्रखण्ड- फैजाबाद के कार्यकाल में उक्त दोनो वर्णित कार्यो की शिकायत प्राप्त हुई है जिसके क्रम में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अयोध्या द्वारा प्रेषित उत्तर के साथ संलग्न संगणक की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि उक्त दोनो कार्यो की उनके पटल से कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ है। जब कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है तो के कारण ही कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ है। इसलिये कार्यो की अधिकता के कारण इन 6.90 लाख एवं 5.68 लाख के कम प्राक्कलित कार्यो का निरीक्षण नहीं किया जा सका, केवल सहायक अभियंता द्वारा पृष्ठ सं0-4 से 77 में एम0बी0 नं0-633 एल पेज संख्या-172 और 173, 189, 190 पर सहायक अभियंता द्वारा अर्थवर्क,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ब्रिक वर्क एवं शत-प्रतिशत इण्टर लांकिग की चेकिंग के आधार पर ही कार्यवाही की गयी है। सहायक अभियंता द्वारा चेकिंग की डेट न डालने से उनकी चेकिंग के हस्ताक्षर होने पर उसे अमान्य नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 के पत्रांक-3933/स्था0-3 दिनांक 31.03.2011 द्वारा निर्गत प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनु0-3 से निर्गत शासनादेश सं0-2474(1) दिनांक 14.07.2009 में स्पष्ट किया गया है कि 25.00 लाख से कम की परियोजनाओं को अधिशासी अभियंता द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण व्यवहारित रूप से संभव नहीं हो पाता है, ऐसे कार्यो की शासकीय क्षति पाये जाने पर 50 प्रतिशत ठेकेदार से तथा अवशेष 50 प्रतिशत में से 75 प्रतिशत अवर अभियंता एवं 25 प्रतिशत सहायक अभियंता से वसूल की जाय।

अत: सी0सी0 कार्य की शत-प्रतिशत सहायक अभियंता द्वारा की माप चेकिंग एवं उक्त वणिर्त शासनादेश दिनांक 14.07.2009 के क्रम में आरोप में दशिर्त श्री हुमायूँ जॉह उत्तरदायी नहीं है।

श्री हूमायूँ जॉह द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया है कि प्रखण्ड में चल रहे कार्यो को निधार्रित मानक एवं विशिष्टियों में कार्य करवाने हेतु लगातार निर्देशित किया जाता रहा तथा उपलब्ध अभिलेखों में फील्ड स्तर पर की गयी निरीक्षण कार्यवाही जिसमें पायी जाने वाली कमियों पर सहायक अभियंता/अवर अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, खराब कार्य पाये जाने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी किया गया तथा सहायक अभियंता/अवर अभियंता की ली गयी बैठक की कार्यवाही में भी निर्धारित गुणवत्ता एवं विभाग की छवि न धूमिल होने हेतु निर्देशित भी किया गया।

श्री हूमायूँ जॉह द्वारा उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप सं0-2 के संबंध में अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य पर शिथिल परीक्षण में लापरवाही नहीं बरती गयी है, जिसके बारे में सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तृत उल्लेख अपने उत्तर दिनांक 03.09.2019 में कराया जा चुका है और उनके द्वारा लगातार अवर अभियंताओं के पर्यवेक्षक में कोई कमी नहीं की गयी जिससे विभाग की छवि धूमिल हो सके। जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, परि0-मिर्जापुर ने अपनी विवेचना में विशेषकर गुणवत्ता निरीक्षण हेतु निर्गत सहायक अभियंताओं/ अवर अभियंताओं के पत्र एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या व अवर अभियंता/सहायक अभियंता की ली गयी समीक्षा बैठक में निर्धारित मानकों में समस्त प्रखण्ड में चल रहे कार्यो की गुणवत्ता के साथ सम्पादित किये जाने के निर्देश संबंधित साक्ष्यों का संलग्नक न होने के कारण उन्हें दोषी ठहराया गया है, जिनका विस्तृत विवरण के साथ उपलब्ध साक्ष्यों को लगाते हुये सम्पूर्ण तथ्यों को विस्तृत में उपरोक्तानुसार आरोप सं0-1 के अभ्यावेदन में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित निर्वाहन किया गया है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन, निदेशक एवं मुख्य अभियंता की आख्या दिनांक 18.02.2021 व दिनांक 26.03.2021 एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री हूमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता के विरूद्ध प्रमाणित कुल 02 आरोप जिसमें आरोप संख्या-1 जो उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 8,025.00 (रू0 आठ हजार पच्चीस मात्र) से संबंधित था को प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोप संख्या-2 जो पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न किये जाने से संबंधित था, के संबंध में श्री जॉह के सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नही पाया गया, किन्तु उनके विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 8,025.00 की वसूली सिविल लायवेल्टी सूट दाखिल कर किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चित किया गया। विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 28.06.2021 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की सहमति मॉगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 17.08.2021 द्वारा निम्नवत सहमति प्रदान की गयी :-

'' श्री हूमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 8,025.00 (रू0 आठ हजार पच्चीस मात्र) की वसूली उनके पेंशन से तब तक की जाय जब तक उक्त धनराशि की कटौती पूर्ण न हो जाय।''

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- अतएव लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17.08.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के दृष्टिगत श्री सै0 हुमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के कारण उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-48/2017/184/ 92-2-2018-115जांच/2017 दिनांक 20.03.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को निम्नवत दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

'' श्री हूमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 8,025.00 (रू0 आठ हजार पच्चीस मात्र) की वसूली उनके पेंशन से तब तक की जाय जब तक उक्त धनराशि की कटौती पूर्ण न हो जाय।''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 38/2021/ 2524(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री हूमायूँ जॉह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।